

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम
(सरकार का प्रतिष्ठान)
प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर


क्रमांक : प्र.का./प्रशा./एफ.15 ()/विविध पार्ट-VIII/९१५७

दिनांक : २३.०६.१९

कार्यालय आदेश


अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक :प.16(35)आरपीजी/लोसेगाअधि./2018/पार्ट-I दिनांक 27.03.2019 एवं संयुक्त शासन सचिव, कृषि (गुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक : प.4(3)कृषि-1/एमसी/2019 दिनांक 18.07.2019 के क्रम में निगम के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण अधिकारी (नोडल अधिकारी) मनोनीत किये जाने के आदेश एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

श्री राज वर्धन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन), प्रधान कार्यालय भवानी सिंह मार्ग, जयपुर का कार्यालय दूरभाष नं. 0141-2576965 हैं।


प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक :प.16(35)आरपीजी/लोसेगाअधि./2018/पार्ट-I दिनांक 27.03.2019 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, कृषि (गुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : प.4(3)कृषि-1/एमसी/2019 दिनांक 18.07.2019 के क्रम में।
4. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. निजी पत्रावली सम्बन्धित अधिकारी।
6. प्रोग्रामर, आदेश की प्रति निगम वैब साइट पर अपलोड करें।
7. नोटिस बोर्ड, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
8. गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
(Raj Vardhan)
Joint Director